संख्या-71/2017/841/22-4-17-48(16)/14टीसी-1

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-12 अक्टूबर, 2017

विषय- जिला कारागार, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं गाजीपुर में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34343/नम-3/मुलाकाती शौचालय/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश की 24 कारागारों में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक का निर्माण कराये जाने हेतु शासनोदश संख्या-73/2016/637/22-4-16-48(16)/14-1, दिनांक 13.06.2016 द्वारा रू0 385.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 192.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं शासनोदश संख्या-37/2017/430/22-4-17-48(16)/14-1, दिनांक 05.06.2017 द्वारा प्रदेश की 13 कारागारों में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक का निर्माण कराये जाने हेतु रू0 208.78 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 104.39 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें जिला कारागार प्रतापगढ़, रायबरेली एवं गाजीपुर में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक के निर्माण कार्य की रू0 48.18 लाख की प्रशासकीय एवं 24.09 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी सम्मिलित थी।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय 03 कारागारों क्रमशः जिला कारागार, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं गाजीपुर में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक (04 नग पुरूष शौचायल, 04 नग यूरिनल, 02 नग महिला शौचालय, 01 नग सेप्टिक टैंक सोकपिट, 01 नग इण्डिया हैण्डपम्प तथा 01 नग सबमर्सिबिल बोरिंग टॉयलेट) का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु (निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार) मूल स्वीकृत लागत रू0 48.18 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 23,30,000/-(रूपया तेईस लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5
1	जि0का0 प्रतापगढ़	16.06	8.03	8.03
2	जि0का0 रायबरेली	16.06	8.03	8.03
3	जि0का0 गाजीपुर	16.06	8.03	(संगत मद शेष धनराशि के आधार पर) 7.24
	योग-	**48.18**	**24.09**	**23.30**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 13.06.2016 एवं 05.06.2017 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय -80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/ मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-**71**/2017/841(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं गाजीपुर।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।